संख्या- 18/2024/622/58-2024/1785677

प्रेषक,

विनय कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत एलोकेटेड केन्द्रांश के सापेक्ष भारत सरकार से सामान्य मद में चतुर्थ किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0-2063.80 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश व 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-1375.87 लाख, इस प्रकार कुल रू0-3439.67 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-155/बजट/2023-24, दिनांक 26.03.2024 एवं पत्र सं0-रा0औ0मि0-2078/Budget-2023-24, दिनांक 30 मार्च, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र सं0- F.N0.18-4/2017-MIDH(E) दिनांक 22.03.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत एलोकेटेड केन्द्रांश के सापेक्ष भारत सरकार से सामान्य मद में चतुर्थ किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0-2063.80 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश व 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0-1375.87 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0-3439.67 लाख को अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय
स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. चूँकि वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। निदेशक/वित्त विनयंत्रक वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगें कि इनका उल्लंघन न हो।

https://shasanadesh.up.gov.in

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्ये सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4. इस संबंध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 22.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्वत निदेशक/वित्तस नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।

5. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।

6. इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

8. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्था यी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निदेशक, उद्यान एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।

12. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व निदेशक, उद्यान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना से आच्छादित केन्द्रांश व राज्यांश की समेकित निधि में जमा है।

13. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध् बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक का उत्तरदायित्व रहेगा।

14. विभागाध्यक्ष/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

https://shasanadesh.up.gov.in

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

16. लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

17. लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001190101 (राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	08 कार्यालय व्यय	7,40,000 (रुपये सात लाख चालीस हजार मात्र)
2	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6,41,000 (रुपये छह लाख इकतालीस हजार मात्र)
3	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
4	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	13 टेलीफोन पर व्यय	37,000 (रुपये सैंतीस हजार मात्र)
5	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के.	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30,98,000 (रुपये तीस लाख अट्ठानबे हजार

https://shasanadesh.up.gov.in

		60/ रा. 40-के.)		मात्र)
6	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15,000 (रुपये पंद्रह हजार मात्र)
7	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	18 प्रकाशन	1,51,000 (रुपये एक लाख इक्यावन हजार मात्र)
8	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2,34,000 (रुपये दो लाख चौंतीस हजार मात्र)
9	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	27 सब्सिडी	19,87,16,000 (रुपये उन्नीस करोड़ सतासी लाख सोलह हजार मात्र)
10	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	29 अनुरक्षण	3,36,000 (रुपये तीन लाख छत्तीस हजार मात्र)
11	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3,30,000 (रुपये तीन लाख तीस हजार मात्र)
12	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	39,000 (रुपये उनतालीस हजार मात्र)

https://shasanadesh.up.gov.in

13	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4,22,000 (रुपये चार लाख बाईस हजार मात्र)
14	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15,61,000 (रुपये पंद्रह लाख इकसठ हजार मात्र)
	कुल			**20,63,80,000 (रुपये बीस करोड़ त्रेसठ लाख अस्सी हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401001198901 (राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	08 कार्यालय व्यय	4,93,000 (रुपये चार लाख तिरानवे हजार मात्र)
2	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4,27,000 (रुपये चार लाख सत्ताईस हजार मात्र)
3	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
4	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	13 टेलीफोन पर व्यय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
5	010	2401001198901	15	20,66,000

https://shasanadesh.up.gov.in

		राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	(रुपये बीस लाख छियासठ हजार मात्र)
6	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
7	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	18 प्रकाशन	1,01,000 (रुपये एक लाख एक हजार मात्र)
8	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1,56,000 (रुपये एक लाख छप्पन हजार मात्र)
9	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	27 सब्सिडी	13,24,78,000 (रुपये तेरह करोड़ चौबीस लाख अठहत्तर हजार मात्र)
10	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	29 अनुरक्षण	2,24,000 (रुपये दो लाख चौबीस हजार मात्र)
11	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,20,000 (रुपये दो लाख बीस हजार मात्र)
12	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	26,000 (रुपये छब्बीस हजार मात्र)
13	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	2,81,000 (रुपये दो लाख इक्यासी हजार

https://shasanadesh.up.gov.in

			स्टेशनरी का क्रय	मात्र)
14	010	2401001198901 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,40,000 (रुपये दस लाख चालीस हजार मात्र)
	कुल			**13,75,87,000 (रुपये तेरह करोड़ पचहत्तर लाख सतासी हजार मात्र)**

महायोग	34,39,67,000 (रुपये चौंतीस करोड़ उनतालीस लाख सड़सठ हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- **E-1-766-X-2023-24-दिनांक:31-3-2024** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

संख्या- 18 /2024/622(1)/58-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सहायक आयुक्त, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0- F.NO.18-4/2017-MIDH(E) दिनांक 22.03.2024 के संदर्भ में।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। द्वारा-निदेशक
7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक

https://shasanadesh.up.gov.in

9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)

उप सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in